निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ–7(4)विविध/अकाद/आकाशि/2020/ 36 दिनांकः–31/08/2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के विद्यार्थियों की फीस जमा कराने की तिथि में अभिवृद्वि बाबत्।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 1107 दिनांक 14.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि स्नातक पार्ट – द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की फीस जमा करवाने हेतु पोर्टल दिनांक 15 जून 2020 से 30 जून 2020 तक खोला गया था, तदोपरान्त पत्रांक एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020–21/1006 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा दिनांक 15.07.2020 तक व पत्रांक एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020–21/1107 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा 31.08.2020 तक फीस जमा करवाने की अवधि को बढ़ाया गया था।

कोविड–19 के मध्यनजर विद्यार्थियों की मांग व विद्यार्थी हित में दिनांक 1 सितम्बर 2020 से 10 सितम्बर 2020 तक फीस जमा कराने की अवधि में पुनः अभिवृद्धि की जाती है। इस अवधि में फीस जमा कराने हेतु पोर्टल खुला रहेगा। प्राचार्य इस अवधि में शेष वंचित रहे विद्यार्थियों की फीस जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे।

31/08

(संदेश नायक IAS)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर।

क्रमाकः– एफ–7(4)विविध/अकाद/आकाशि/2020/ 36–40 दिनांकः– 31/08/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

31/8/2020

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)